

आवेदन का प्रपत्र

**अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - I) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - II) / केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)
(क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण-पत्र हेतु**

1	आवेदक/आवेदिका का नाम			
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :- आधार कार्ड में दर्ज पता :-			
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-			
4	जन्म तिथि :-	5.	पुरुष ()	महिला ()
6	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी. केन्द्र सूची) (उल्लेख करें) :-		7. उपजाति :-	
8	धर्म :-			
9	आवासीय पता :-			
(क)	स्थायी पता :- गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन _____ राज्य _____			
(ख)	वर्तमान पता :- गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन _____ राज्य _____			
10	पिता का नाम :-			
11	पिता की जाति :-			
12	पिता का पेशा :-			
13	पिता का PAN :-			
14	माता का नाम :-			
15	माता की जन्म तिथि :-			
16	माता का पेशा :-			
17	माता का PAN :-			
18	पति का नाम :-			
19	पति की जाति :-			

20	प्रमाण पत्र की श्रेणी (जिस श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाना है, उसके सामने 0 का निशान लगावे) NCL - Non Creamy Layer	1. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) - केन्द्र प्रयोजनार्थ (NCL)
		2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची I) - राज्य प्रयोजनार्थ (NCL)
		3. पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) - राज्य प्रयोजनार्थ (NCL)
		4. अन्य पिछड़ा वर्ग - आव्रजित श्रेणी (NCL)
21	केन्द्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक- संकल्प सं०-
22	झारखण्ड राज्य की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक- संकल्प सं०-
23	आव्रजित श्रेणी के केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के मामले में मूल राज्य की सूची में केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग का क्रमांक एवं संकल्प संख्या	क्रमांक- संकल्प सं०-
24	आव्रजित श्रेणी के केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के मामले में पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या एवं प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम	प्रमाण पत्र सं० प्राधिकृत पदाधिकारी
25	अभिभावक/पिता की स्थिति	पिता
Category (I)	संवैधानिक पद	माता
	क्या आवेदक के माता/पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं ?	
	संवैधानिक पद का पदनाम	
Category (II)	केन्द्र अथवा राज्य में नियोजन का पद	
	क्या आवेदक के माता/पिता केन्द्र/राज्य अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं ?	
	यदि हाँ, तो सरकारी सेवा में नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित विवरणी	
	केन्द्र अथवा राज्य की सेवा में नियुक्ति का वर्ग (ग्रुप A/B/C/D/II/III/IV)	
	केन्द्र अथवा राज्य की सेवा में वर्तमान वर्ग (ग्रुप A/B/C/D/II/III/IV)	
	यदि वर्ग B से वर्ग A में प्रोन्नति 40 वर्ष के बाद हुई है तो नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य	
	अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित जैसे-यूनिसेफ, यू० एन०, डब्लू० एच० ओ०	
	संगठन का नाम	
	पदनाम	
	सेवा का नाम एवं अवधि	

		क्या आवेदक के पिता केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक/जीवनबीमा संगठन या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम में कार्यपालक पद (Executive) या उच्चतर पद पर पदस्थापित हैं ?		
		यदि कार्यपालक पद पर 40 वर्ष के बाद प्रोन्नति की गई है, तो प्रोन्नति से संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय		
		अन्य वेतनभोगी कर्मचारी		
		संगठन का नाम		
		पदनाम		
		सेवा का नाम एवं नियुक्ति की तिथि		
Category (iii)		आर्म्ड फोर्स/पारा मिलिट्री		
		पदनाम		
		क्या धारित पद आर्मी के कर्नल या उच्चतर पद अथवा नेवी, एयरफोर्स एवं पारा मिलिट्री फोर्स का समकक्ष पद है ?		
Category (iv)		प्रोफेशनल/स्व नियोजित एवं व्यवसाय/उद्योग/व्यापार करने वाले व्यक्ति		
		कृपया पेशा, उद्योग एवं व्यापार के संबंध में विवरणी दें		
		कुल वार्षिक आय		
Category (v)		सम्पत्ति मालिकों के लिए		
		कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल		
		सिंचित/असिंचित भूमि का क्षेत्रफल		
		सिंचित भूमि का प्रतिशत		
		फसल की किस्म		
		यदि व्यावसायिक फसल, यथा रबर, कॉफी, चाय, मसाले इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, तो अंतिम तीन वर्षों का वार्षिक आय (आयकर रिटर्न की विवरणी संलग्न करें)		
Category (vi)		अन्य स्रोतों से आय - प्रोफेशनल सेवा, व्यापार, वाणिज्य, किराया, इत्यादि		
		I. आय का स्रोत (वेतन एवं कृषि से आय के स्रोत को छोड़कर)		
		प्रोफेशनल सेवा		
		व्यापार		
		वाणिज्य		

रबर, कॉफी, चाय, मसाले के उत्पादन से आय				
किराया से आय				
अन्य				
11. विगत लगातार तीन वर्षों की वार्षिक आय (आयकर रिटर्न संलग्न)	रिटर्न सं०	वर्ष	राशि	
			पिता	माता

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में हूँ। अगर कोई सूचना गलत पायी गई तो मेरा नियोजन/नामांकन रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

माता का हस्ताक्षर

पिता का हस्ताक्षर

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट :-

1. उपर्युक्त कंडिका 25(IV) एवं 25(V) के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्तियों के आय निर्धारण का मानदण्ड कंडिका 25(VI) के आधार पर होगा। कंडिका 25(II) एवं 25(III) के अधीन आनेवाले आवेदक जो आरक्षण का लाभ हेतु अन्यथा पात्रता रखते हैं परन्तु यदि उनकी आय कृषि एवं वेतन को छोड़कर अन्य स्रोतों से है, तो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिवर्ष आय के मानदण्ड के अनुसार कंडिका 25(VI) के आधार पर क्रीमीलेयर की पात्रता निर्धारित की जायेगी।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु किया जायेगा।

घोषणा पत्र

आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) का जाति प्रमाण पत्र के निमित्त (क्रीमीलेयर रहित)

मैं _____ पिता _____ झारखण्ड राज्य की/के स्थाई निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग, अनुसूची-II के मामले में/दिनांक-15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन कोड _____ राज्य _____ निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं _____ पिता _____ राज्य _____ की/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष _____ से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
4. मैं गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन _____ राज्य _____ के पते पर साधारण निवास करता/करती हूँ।
5. मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी सवैधानिक पद पर नहीं है।
7. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से दोनों भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं है।
8. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रुपये _____ है।
9. मेरे माता/पिता की कृषि से वार्षिक आय रुपये _____ है।
10. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपये _____ है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं, मौजा _____ खाता संख्या _____ प्लॉट संख्या _____

पंचायत/वार्ड _____ के खतियानी रैयत _____ का/की _____ हूँ।

खतियानी रैयत का नाम _____ (हाल सर्वे/साविक सर्वे) सर्वे वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी _____

↓
द्वितीय पीढ़ी _____

↓
तृतीय पीढ़ी _____

↓
चतुर्थ पीढ़ी _____

* जो लागू न हो उसे काट दें।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के माता/पिता के द्वारा संतान के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के निमित्त क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र हेतु

मैं पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची-I / पिछड़ा वर्ग, अनुसूची-II के मामले में)/दिनांक-15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं/मेरे पिता राज्य का/के मूल-निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री भारत का/की नागरिक है।

2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-

3. मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-

4. मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन राज्य के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।

5. मैंने अपने पुत्र/पुत्री के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।

6. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी सवैधानिक पद पर नहीं है।

7. मैं/मेरी पत्नी/दोनों (जो लागू न हो उसे काट दें) भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं है।

8. मैं/मेरी पत्नी/दोनों की वेतन से वार्षिक आय रुपये है।

9. मैं/मेरी पत्नी/दोनों की कृषि से वार्षिक आय रुपये है।

10. मैं/मेरी पत्नी/दोनों का अन्य स्रोतों से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपये है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मौजा _____ खाता संख्या _____ प्लॉट संख्या _____
पंचायत/वाड _____ के खतियानी रैयत _____ का/की _____ हूँ।
खतियानी रैयत का नाम _____ (हाल सर्व/सादिक सर्व*) सर्व वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी _____

↓
द्वितीय पीढ़ी _____

↓
तृतीय पीढ़ी _____

↓
चतुर्थ पीढ़ी _____

* जो लागू न हो उसे काट दें।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

(पिता/माता का नाम: _____)

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।